भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

**राज्य सभा**

लिखित प्रश्न सं. 1574 #

गुरूवार, 12 फरवरी, 2026/23 माघ, 1947 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

**पर्यटन के लिए नई पहलें**

**1574 # श्री तेजवीर सिंहः**

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) हालिया बजटीय घोषणाओं के तहत गंतव्य-आधारित विकास, अवसंरचना उन्नयन और अनुभवात्मक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) स्वदेश दर्शन, प्रसाद और डिजिटल पर्यटन से संबंधित नई नीतिगत पहलों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) घरेलू और अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों की संख्या में वृद्धि, स्थानीय रोजगार और क्षेत्रीय विकास के संदर्भ में इन उपायों से अब तक क्या सुधार हुआ है?

**उत्तर**

**पर्यटन मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)**

(क) से (ग): पर्यटन मंत्रालय ने देश में पर्यटन अवसंरचना के उन्नयन और अनुभवों को बेहतर बनाने सहित गंतव्य-आधारित विकास को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। पर्यटन मंत्रालय की स्वदेश दर्शन 2.0 योजना (स्वदेश दर्शन योजना का संशोधित संस्करण) पर्यटन स्थलों के सतत विकास पर केंद्रित है और मंत्रालय ने इस योजना के तहत 2208.31 करोड़ रुपये की 53 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इसके अलावा, स्वदेश दर्शन योजना की 'चुनौती आधारित गंतव्य विकास (सीबीडीडी)' नामक पहल के तहत पर्यटन अवसंरचना के विकास के लिए 697.94 करोड़ रुपये की 38 परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई है। 'तीर्थस्थल कायाकल्प एवं आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान (प्रशाद)' नामक योजना के तहत, मंत्रालय ने 1726.74 करोड़ रुपये की 54 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। जबकि, 'एसडी 2.0', 'सीबीडीडी' और 'प्रशाद' नामक योजनाओं के तहत परियोजनाओं को मंजूरी देते समय क्षेत्रीय संतुलन को कायम रखा जाता है, तथापि परियोजनाओं को संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों द्वारा योजना दिशानिर्देशों और सरकारी निर्देशों के अनुरूप परियोजना प्रस्तावों की प्रस्तुति तथा बजट की उपलब्धता, पारस्परिक प्राथमिकता आदि के अध्यधीन मंजूरी दी जाती है।

इन परियोजनाओं का कार्यान्वयन, संचालन और प्रबंधन भी संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों द्वारा किया जाता है। उपर्युक्त योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत घटकों में मुख्यतः डिजिटल घटकों सहित पर्यटकों और आगंतुकों को सुविधा प्रदान करने से संबंधित घटक शामिल हैं। इन घटकों पर परियोजना की आवश्यकता के अनुसार स्वीकृति हेतु विचार किया जाता है और इनमें पर्यटन के मूल उत्पादों से संबंधित घटक जैसे पर्यटक सुविधा केंद्र, व्याख्या केंद्र, पर्यटन संबंधी कार्यकलाप, स्वच्छता एवं सुरक्षा, कनेक्टिविटी, पार्किंग, स्थल का आम विकास, अमूर्त घटक आदि शामिल हो सकते हैं। पर्यटन मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के दिशानिर्देशों में पर्यटन क्षमता को बढ़ाने वाले घटकों की एक व्याख्यात्मक सूची भी शामिल की है।

'एसडी 2.0', 'सीबीडीडी' और 'प्रशाद' नामक योजनाओं के अंतर्गत परियोजनाओं को अखिल भारतीय स्तर पर स्वीकृत किया गया है। ये परियोजनाएं स्थानीय रोजगार के अवसर पैदा करने और पर्यटकों के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने में सहायक हैं, जिससे पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होगी। चूंकि इन योजनाओं के माध्यम से निर्मित परिसंपत्तियों का स्वामित्व, संचालन और प्रबंधन राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों द्वारा किया जाता है, अतः मंत्रालय ने उन्हें पर्यटकों की संख्या, रोजगार, राजस्व सृजन और अन्य मापदंडों से संबंधित आंकड़े एकत्र करने की सलाह दी है।

मंत्रालय अपनी सतत संवर्धनात्मक कार्यकलापों के अंतर्गत अपनी वेबसाइट, सोशल मीडिया गतिविधियों, कार्यक्रमों आदि के माध्यम से भी देश के विभिन्न पर्यटन स्थलों और उत्पादों का संवर्धन करता है।

*******